

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2023—आश्विन 7, शक 1945

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

अधि.क्र. 16 एफ 1-29/2018/18-3 - मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-की उप धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा नीचे दी गयी सारणी में वाणिज्य ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद दलौदा का गठन करती है, अर्थात्:-

सारणी

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम का नाम	क्षेत्र का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1				1. दलौदा चौपाटी	सम्पूर्ण
2	मंदसौर	दलौदा	दलौदा	2. दलौदा रेल	सम्पूर्ण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

एफ. 1-29-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16 एफ-1-29-2018-अठारह-3. दिनांक 29 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 29<sup>th</sup> September 2023

Not-No 16 F-01-29/2018/18-3 – In exercise of The powers conferred by Section-5(1) (B) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) here by pleased to include the areas Village Panchayat mentioned in the below table is notified as Municipal Council, Daloda, namely:-

TABLE

S.N. (1)	District (2)	Tehsil (3)	Name of the Gram Panchayat (4)	Name of the village (5)	Area Details (6)
1	Mandsaur	Daloda	Daloda	1. Daloda Chopati	Total
2				2. Dalodarail	Total

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. KARTIKEY., Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

अधि.क्र. 17 एफ 1-30/2021/18-3 - मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-की उप धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा नीचे दी गयी सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद बाटियागढ का गठन करती है, अर्थात्:-

सारणी

स.क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	सम्मिलित ग्राम का नाम (5)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)	क्षेत्र का ब्यौरा (7)
1	दमोह	बाटियागढ	बाटियागढ	1. बाटियागढ	1200	सम्पूर्ण
2			शहजादपुरा	2. घनश्यामपुरा	816.58	सम्पूर्ण
3			सैडारा	3. शेखपुरा	86	सम्पूर्ण
4			सरिया	4. टिकरी	157.39	सम्पूर्ण
				5. नीमखेडा	174.60	सम्पूर्ण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

एफ. 1-30-2021-अटारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17-एफ-1-30-2021-अटारह-3. दिनांक 29 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 29<sup>th</sup> September 2023

Not-No. 17 F-01-30/2021/18-3 – In exercise of The powers conferred by Section-5(1) (B) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) here by pleased to include the areas Village Panchayat mentioned in the below table is notified as Municipal Council, Batiagarh, namely:-

TABLE

S. N.	District	Tehsil	Name of the Gram Panchayat	Name of the village	Areas (In Hectares)	Area Details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Damoh	Batiagarh	Batiagarh	1. Batiagarh	1200	Total
2			Shahzadpura	2. Ghanshyampura	816.58	Total
3			Saidara	3. Sheikhpura	86	Total
4			Saria	4. Tikri	157.39	Total
				5. Neemkheda	174.60	Total

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. KARTIKEY., Dy. Secy.